

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 188/2024

निर्णय दिनांक :- 25/6/2024

## उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. कंचन देवी पत्नि सत्यनारायण जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. दुर्गालाल पुत्र घीसालाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. नोरत पुत्र घीसालाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. महावीर पुत्र घीसालाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. राकेश पुत्र माता ग्यारसी जाति लोधा निवासी निवासी हाल निवासी कालेडा कंवर जी तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. शांतिलाल पुत्र माता ग्यारसी जाति लोधा निवासी हाल निवासी कालेडा कंवर जी तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. शीला पुत्री माता ग्यारसी जाति लोधा निवासी हाल निवासी कालेडा कंवर जी तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. सत्यनारायण पुत्र घीसालाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

—प्राथीगण—

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

—अप्रार्थी—

तहसीलदार देवली

उपस्थिति :- श्री सुनिल कुमार शर्मा  
अधिवक्ता प्रार्थीगण



## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 846 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 853 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि की नाप चौक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है। प्रार्थीगण व अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य सीमा व कब्जे को लेकर गम्भीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि बाबत् उत्पन्न होने वाले विवाद को समाप्त करने के लिए उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करवायी गई तो मोके पर गंभीर विवाद होगा, लडाई झगडा होगा तथा अनावश्यक रूप मुकदमें बाजी बढेगी। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है व किसी अन्य खातेदार का कब्जा काश्त नहीं है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी पक्षकार का नामान्तकरण अवशेष नहीं है। उक्त आराजी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।


पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी



खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2073-76 में अंकित खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 846 रकबा 0.35 है, खसरा नम्बर 853 रकबा 0.20 है वाके ग्राम राजमहल जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली